	अपील सूचना अधिकार संख्या 101/2021 (GCMS 2021/157)(पोस्ट ऑर्डर नं. 52एफ–509565) त्रिलोक पुत्र हेतराम जाति मेघवाल गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335021 बनाम उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.),रायसिंहनगर 11.02.2023 **पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** श्री त्रिलोक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर ढाई सौ रूपये प्रतिदिन जुर्माना व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी त्रिलोक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी: चक 33 पीएस मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 ता 25 जेठाराम पुत्र गणेशाराम आवंटन आदेश 5018 दिनाक 23.09.72 सैल रजिस्टर की प्रति संलग्न सूचना निम्न बिन्दुवार : 1. चक 33 पीएस मुरब्बा नम्बर 57 आवंटन मूल पत्रावली की प्रमाण्ति सुदा नकल टीसी पुख्ता आवंटन सन् 1972 से 1984 2. उक्त भूमि खारिज करने का [illegible]राम पुत्र गणेशाराम को जारी किया गया नोटिस आदि के [illegible] समस्त जानकारी 3. चक 33 पीएस मुरब्बा नम्बर 57 [illegible]रादेवी पत्नी उदारा[illegible] आवंटन की मूल पत्रावली टीसी पुख्ता आवंटन की मूल पत्रावली की प्रमाणित सुदा नकल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. अनुसूचित जाति को आवंटन कृषि भूमि सन् 1972 से 1984 खातेदार जेठाराम पुत्र गणेशाराम की भूमि खारिज कर ओबीसी जाति को आवंटन गौरादेवी पत्नी उदाराम के नाम किस आधार पर की गई, की प्रमाणित सुदा नकल
5. चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 ता 25 का पट्टा जेठाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल को दिया गया उक्त भूमि का पुनः पट्टा गोरा देवी पत्नी उदाराम जाति जाट को पट्टा पर पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में प्रमाणित सूचना।
6. पुख्ता आवंटन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर दिनांक 23.3.2005 उपखण्ड अधिकारी का नाम पता एवं तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी के नाम पता बताए, चक 33 पीएस मुरब्बा नम्बर 57 किला नं. 1 ता 25 गौरादेवी के आवंटन के अन्तर्गत पदाधिकार लोक सेवकों के संबंध की प्रमाणित जानकारी दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 1030 दिनांक 17.09.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र. सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	चक 33 पीएस मु.नं. 57 आवंटन मूल पत्रावली की प्रमाणित सू[illegible] टीसी पुख्ता आवंटन सन 1972–1984	प्रकरण सं., अनवान तथा निर्णय दिनांक के अभाव में [illegible] तलाश नहीं की जा [illegible]कती। आप द्वारा प्रकरण सं[illegible] निर्णय दिनांक [illegible] में अवगत करवाने पर प[illegible]ली तलाश कर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2	उक्त भूमि खारिज करने का कारण जेठाराम पुत्र गणेशाराम को जारी किया गया नोटिस आदि के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना देय नहीं है।
3	चक 33 पीएस मुरब्बा नम्बर 57 गोरादेवी पत्नी उदाराम को आवंटन की मूल पत्रावली टीसी पुख्ता आवंटन की मूल पत्रावली की प्रमाणित सुदा नकल।	प्रकरण सं., निर्णय दिनांक के अभाव में पत्रावली तलाश नहीं की जा सकती है। आप द्वारा प्रकरण सं., अनवान, निर्णय दिनांक के बारे में अवगत करवाने पर पत्रावली तलाश कर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।
4	अनुसूचित जाति को आवंटन कृषि भूमि सन् 1972 से 1984 खातेदार जेठाराम पुत्र गणेशाराम की भूमि खारिज कर ओबीसी जाति को आवंटन गौरादेवी पत्नी उदाराम के नाम किस आधार पर की गई, की प्रमाणित सुदा नकल।	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना देय नहीं है।
5	चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 ता 25 का पट्टा जेठाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल को दिया गया उक्त भूमि का पुनः पट्टा गोरा देवी पत्नी उदाराम जाति जाट को पट्टा पर पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में प्रमाणित सूचना।	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना देय नहीं है।
6	पुख्ता आवंटन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर	दिनांक 23.03.2005 को उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

	दिनांक 23.3.2005 उपखण्ड अधिकारी का नाम पता एवं तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी के नाम पता बताए, चक 33 पीएस मुरब्बा नम्बर 57 किला नं. 1 ता 25 गौरादेवी के आवंटन के अन्तर्गत पदाधिकार लोक सेवकों के संबंध की प्रमाणित जानकारी दी जावे।	रायसिंहनगर के पद पर श्री दिनेश शर्मा कार्यरत थे। जिनका निवास स्थान सिविल लाईन्स, रायसिंहनगर था। अन्य सूचनाएं तहसील कार्यलय से संबंधित हैं जिसके लिए तहसीलदार रायसिंहनगर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /सूकाअ/21/1005 दिनांक 03.09.2021 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जा चुका है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम **के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि प्रकरण संख्या, अनवान् तथा निर्णय दिनांक आदि की जानकारी उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसर बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:19 IST
Reason: SelfAttested